REVIEW OF RESEARCH

दक्षिण एशिया में जातीयता की राजनीति

Dr. Akhilesh Pal

Assistant Professor ,
Department of Political Science ,
Iswar Saran PG College ,
Universit of Allahabad, Prayagraj.

ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 8 | MAY - 2019

प्रस्तावना :–

मानव समाज विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों का बना होता है। आधुनिक युग में इनमें सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र राज्य है। मगर राष्ट्र राज्य ही एकमात्र सामूहिक पहचान नहीं है, जिससे कि समकालीन समाज में व्यक्ति अपने को पहचानता है। अपने आपको उसके साथ जोड़कर देखता है। आज विकसित देशों और विकासशील देशों सहित आज अधिकांश राज्यों में कई प्रकार के सामाजिक समूह बसे है। जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति और जीवन शैली है। दूसरे शब्दों में आज दुनिया के अधिकांश देश बहुजातीय समाज है। ऐसे समाज बहुजातीय समाज कहलाते है, जिनके अनेक बड़े जातीय समूह एक साझी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था राष्ट्र राज्य में साथ–साथ तो रहते है। मगर सबकी अपनी अलग विशिष्टताएं होती है और सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं।

Keywords: दक्षिण एशिया, जातीयता, राजनीति, संघर्ष।

मानव समाज विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों का बना होता है। आधुनिक युग में इनमें सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र राज्य है। मगर राष्ट्र राज्य ही एकमात्र सामूहिक पहचान नहीं है, जिससे कि समकालीन समाज में व्यक्ति अपने को पहचानता है। अपने आपको उसके साथ जोड़कर देखता है। आज विकसित देशों और विकासशील देशों सहित आज अधिकांश राज्यों में कई प्रकार के सामाजिक समूह बसे है। जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति और जीवन शैली है। दूसरे शब्दों में आज दुनिया के अधिकांश देश बहुजातीय समाज है। ऐसे समाज बहुजातीय समाज कहलाते है, जिनके अनेक बड़े जातीय समूह एक साझी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था राष्ट्र राज्य में साथ–साथ तो रहते है। मगर सबकी अपनी अलग विशिष्टताएं होती है और सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं।

जातीयता शब्द अंग्रेजी के शब्द एथनिसिटी और एथनिक ग्रुप ग्रीक भाषा के एथेनोस से व्युत्पन्न हुए है या बना है जिसे सामान्य रूप से राष्ट्र या एक विशिष्ट संस्कृति का अनुसरण करने वाले एक ही प्रजाति के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

जातीय समूह के आधुनिक उपयोग, औद्योगिक राज्यों का अधीनस्त समूहों के साथ विभिन्न प्रकार की मुठभेडों को दर्शाता है जैसे कि आप्रवासियता और उपनिवेश विषय जातीय समूह को राष्ट्र के विरोध में खड़ा किया गया है जिनकी अलग सांस्कृतिक पहचान होती है और जो प्रवास या विनय के माध्यम से किसी विदेशी राज्य के अधीन हो गये है। इस शब्द का आधुनिक उपयोग नया जातीय समूह शब्द का पहली उपयोग 1851 में किया गया था और 1972 में जातीय समूह शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में प्रवेश हुआ।

वर्तमान बोलचाल की भाषा में आज भी एथनिक और एथनिसिटी शब्द के चारों ओर विदेशी लोगों, अलंख्यक मुद्दो और जातीय संबंधों का एक घेरा बना हुआ है हलांकि, सामाजिक विज्ञान के दायरे में इसका उपयोग उन सभी मानव

समूहों के लिए किया जाता है। जो स्वयं को अपनी सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट मानते हैं और दूसरों द्वारा भी माने जाते हैं।

एथनिक ग्रुप शब्द को सामाजिक विज्ञान में लाने वाले प्रथम व्यक्तियों में जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर भी शामिल हैं। फ्रेडरिक बार्थ जातिगत राष्ट्रीय संघर्ष।

कभी–कभी जातीय समूह देश या उसके घटकों या राज्यों द्वारा प्रतिकूल दृष्टिकोण और कार्रवाई के अधीन हो जाते है। बीसवीं शदी में लोगों ने तर्क दिया कि जातीय समूहों के बीच एक जातीय समूह या जातीय समूह के सदस्यों और राज्यों के बीच संघर्ष इन दोनों में से एक तरीके से सुलझाया जानाा चाहिए।

युर्गन हैबरमान और ब्रुस बैरी– जैसे कुछ लोगों ने यह तर्क दिया है कि आधुनिक राज्यों की वैधता और व्यक्तिगत स्वायन्त जनता के राजनीति अधिकारों की धारणा पर आधारित होनी चाहिए।

इस विचार के अनुसार राज्य को जातीय राष्ट्रीय या नस्लीप पहचान को मान्यता देने कि बजाय सभी व्यक्तियों कि राजनीतिक और कानूनी समानता लागू करनी चाहिए।

चार्ल्स टेलर और बिल फैमलिका– जैसे विचारों के अनुसार व्यक्तिगत स्वायत्ता की धारणा स्वयं में एक सांस्कृतिक निर्माण है। इस विचार के अनुसार राज्यों को अपनी जातीय पहचान को समझना चाहिए और ऐसी प्रक्रियाओं को विकसित करना चाहिए जिनके माध्यम से जातीय समूहों की विशेष जरूरतों को राष्ट्र–राज्य कि सीमाओं के भीतर समायोजित किया जा सके।

इस प्रकार के संघर्ष आम तौर पर बहुजातीय राज्यों में होते हैं। उनके बीच विरोध के रूप में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यह संघर्ष नागरिक युद्ध के रूप में चित्रित किया गया, जबकि वे एक बहु जातीय राज्य में एक अंतर–जातीय संघर्ष होते हैं।

श्रीलंका का जातीय संघर्ष–

श्रीलंका में तमिल समस्या उपनिवेश के गर्भ में पैदा हुई थी, तब से लेकर अब तक श्रीलंकाई सरकारें इसका समाधान न ही तलाश पायी है। इस दृष्टि से तमिल समस्या एक ऐसी समस्या है जिसमें भारत श्रीलंका सम्बंधों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है।

श्रीलंका में तमिलों की दो श्रेणियां है– प्रथम श्रीलंकाई तमिल और द्वितीय भारतीय तमिल, भारतीय तमिल उन कामगारों के वंशज है जो 19वीं 20वीं सदी में श्रीलंका के काफी चाय और रबर बागानों में काम करने के लिए कुछ स्वेच्छा से साहूकारी या अन्य कार्यों हेतु दक्षिण भारत से श्रीलंका गये थे। ये तमिल भाषी मुख्यतः मलयकम या कंट्री में रहते है। ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका के बागवानी क्षेत्र में भारतीय तमिलों का बज योगदान है लेकिन इनका सामाजिक–आर्थिक स्तर राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं।

श्रीलंका में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद श्रीलंका सरकार ने अपने नागरिक अधिनियम संख्या 18(1948) तथा भारतीय पाकिस्तानी निवासी नागरिक अधिनियम संख्या 3(1949) और उसके बाद संशोधित अधिनियम संख्या 37(1950) तथा अधिनियम संख्या 45(1952) द्वारा इन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया। इसके अतिरिक्त नागरिकता हेतु भी उन्हें यह प्रमाणित करने के लिए बाध्य किया गया कि उनके माता–पिता या वे स्वयं लंका में जन्में हैं तथा 1939 से लगातर वहां रह रहे हैं। इसने तमिल भारतीयों के लिए कई समस्याएं खड़ी की यहां तक उन्हें राज्य विहीन नागरिक बना दिया।

- सिंहली केवल अधिनियम इस कानून के अनुसार देश की राष्ट्रभाषा सिंहला ही होगी। इससे गैर सिंहलियों को रोजगार मिलना लगभग असंभव हो गया। जो पहले से नौकरी मे थे, उन्हें नौकरी से निकाला जाने लगा। यह अधिनियम का निर्माण वहां प्रधानमंत्री भंडारनायके के कार्य में किया गया था।
- शिक्षा का कथित मानकीकरण इस कानून के अंतर्गत विश्वविद्यालयों में तमिलों का प्रवेश असंभव हो गया। नौकरियों में भी गैर–सिंहलियों के लिए कोई काम नही बचा। उन्हें नौकरीयों से निकाला जाने लगा।
- तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट का गठन टी यूएलएफ ने अधिकार के लिए सशस्त्र संघर्ष का समर्थन किया। तमिल जातीय के बरोजगारों और बेकार युवको ने हथियार उठा लिया। जिससे धीरे–धीरे जातीय संघर्ष बढ़ता गया।

➢ 1974 में लिबरेशन टाईगर ऑफ तमिल ईलम का गठन–लिट्टे ने तमिल समूह के लिए आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति में सुधार के लिए तथा सेपेरेट होमलैंड कि मांग कि और तमिलों के लिए अलग राज्य की मांग कि और और सरकार के साथ समय–समय पर उग्र संघर्ष किया।

श्रीलंकाई सरकार की गलत नीतियों और पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण श्रीलंका के तमिलों में गहरा असंतोष पैदा हो गया सरकार की नीतियों के कारण बहुसंख्यक सिंहला समुदाय को जहां लाभ हुआ वहीं अल्पसंख्यक तमिलों को हानि हुई। शिक्षा से लेकर रोजगार तक, धर्म से लेकर संस्कृति तक, वाणिज्य से लेकर व्यवसाय तक हर जगह तमिलों से भेदभाव किया गया। उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया। 70 और 80 के दशक में स्थिति ये हो गई कि तमिल युवकों का विश्वविद्यालयों में दाखिला और रोजगार पाना असंभव सा हो गया।

कहते हैं कि घाव कितना भी गहरा हो समय के साथ भर जाता है लेकिन तमिलों के साथ ऐसा नही हुआ। जिन तमिलों ने देश की प्रगति में भागीदारी की उन्हीं तमिलों को बहुसंख्यक सिंहला समुदाय अपना मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। यही करण है कि तमिलों को पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धनता जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ा।

श्रीलंकाई सरकार द्वारा इस तरह के अधिनियम बनाना तमिलों को मताधिकार से वंचित करना इसके पीछे कुछ मूल भूत कारण थे। (1) बढ़ती हुयी जनसंख के कारण श्रीलंका में आर्थिक दबाव, (2) प्रवासी तमिलों द्वारा अपनी कमाई का बड़ा भाग भारत की ओर भेजा जाना जिससे श्रीलंका के विदेशी विनिमय पर विपरीत प्रभाव पड़ता था। (3) श्रीलंका में जनसंख्या संतुलन में तमिलों की महत्वपूर्ण भूमिका जिसका दबाव सरकार पर पड़ना स्वाभाविक था। आदि कारण थे।

श्रीलंका सरकार की इन्हीं नीतियों के कारण धीरे–धीरे तमिल समस्या ने उक्त रूप धारण कर लिया। इन बेरोजगार और बेकार युवकों ने विद्रोह का रास्ता अपना लिया। 23 जुलाई 1983 को लिट्टे के एक हमले में श्रीलंकाई सेना के 13 सैनिक मारे गए। इस घटना के बाद भड़की हिंसा में लगभग एक हजार तमिल मारे गये और लगभग 10 हजार तमिल घरों को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना ने दुनिया भर के तमिलों को हिला दिया। इस घटना से परेशान तमिल युवकों ने सशस्त्र विद्रोह का रास्ता अपना लिया। तमिलों ने उत्तरी और फिर पूर्वी प्रांत से श्रीलंका की सेना को खदेड़ कर लगभग पूरे तमिल क्षेत्र में तमिल ईलम की स्थापना कर ली।

लिट्टे की ताकत के चलते तमिल युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट और तमिल कांग्रेस जैसे संसदीय आंदोलन चलाने वाले संगठनों को नष्ट कर तमिल आंदोलन पर एकाधिकार कायम कर लिया। कुछ उदारवादी तमिल नेताओं को बाहर शरण लेनी पड़ी। लिट्टे की इसी कार्यशौली ने धीरे–धीरे उसे खूँखार आतंक की शैली से सम्बद्ध कर दिया।

1. 1977 में जाफना के महापौर अल्फ्रेड येदुरप्पा की हत्या।
2. 1977 मे स्वयं प्रभाकरन द्वारा तमिल सांसद एम0 कनगरत्नम की हत्या की गई।
3. सैनिक काफिले पर हमला।
4. 1985 में अनुराधापुरम में 146 नागरिकों की हत्या।
5. 1987 में लिट्टे ने पहली बार आत्मघाती हमला किया। विस्फोटकों से भरे ट्रक को सैन्य शिविर की दीवार से टकरा दिया गया। इस हमले में चालीस सैनिक मारे गए। इस हमले के बाद लिट्टे ने 170 से भी अधिक आत्मघाती हमलों को मूर्तरूप दिया। यह संख्या दुनिया के किसी भी संगठन के आत्मघाती हमले की संख्या से अधिक थी। आखिरकार आत्मघाती हमला लिट्टे की पहचान बन गया।
6. 1989 में जाफना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और मानवाधिकारवादी डॉ0 रजनी की हत्या।
7. 1993 में लिट्टे ने राष्ट्रपति रनसिंघे प्रेमदासा की हत्या कर दी।
8. 1996 में कोलंबो के सेंट्रल बैंक तथा 1998 में बौद्धो के सबसे पवित्र मंदिरों पर भी हमला किया।
9. 2001 में भण्डार नायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला किया इस हमले से श्रीलंकाई वायुसेना के आठ और श्रीलंकन एयरलाइन्स के चार विमान नष्ट हो गए।

श्रीलंका का गृह युद्ध जो 23 जुलाई 1983 में शुरू हुआ था वो एशिया में सबसे लम्बे समय तक चले गृह युद्ध में से एक है श्रीलंका सरकार और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) के बीच संघर्ष लगभग तीन दशकों तक चला था। लिट्टे श्रीलंका द्वीप के तमिल अल्पसंख्क के लिए एक स्वतंत्र राज्य चाहाता या एक साल के भयंकर सैन्य आक्रमण के बाद श्रीलंका सरकार ने मई 2009 में दावा किया था कि उन्होंने अलगाववादी समूह को हरा दिया है। सरकार ने यह भी प्रसारण किया कि उन्होंने लिट्टे के नेता बेलुपिल्लई प्रभाकरन को मार दिया है।

श्रीलंका के स्वतंत्रता के बाद बहुसंख्य सिहली और अल्पसंख्यक तमिलों के बीच जातीय संघर्ष के कारण देश त्रस्त होता गया। विशेषज्ञों का कहना है कि स्थायी शान्ति के लिए सरकार को एक राजनीतिक हल निकालना होगा। लिट्टे को कई देशों ने जैसे यूरोपीय संघ कनाड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका भारत और आस्ट्रेलिया ने आंतकवादी संघठन घोषित किया है। इस गृह युद्ध में करीब 70 हजार लोगों की हत्या हुई थी।

हमले का प्रतिरोध

1983 में सेना पर लिट्टे के हमले के बाद सिंहलियों ने तमिलों पर सुनियोजित हमले किए। इन हमलो में एक हजार से अधिक तमिल मारे गए। तमिलों को सिंहला बहुल क्षेत्रों से भागना पड़ा।

1987 में सेना ने ऑपरेशन लिबरेशन आरंभ किया। इसका लक्ष्य जाफना को मुक्त कराना था। इस ऑपरेशन में सेना को जीत मिली मगर प्रभाकरन भागने में सफल हो गया।

भारत और श्रीलंका के बीच जातीय संघर्ष से बच जायेगा।

1. 1962 में भारत और श्रीलंका के बीच एक संधि हुई जिसे नेहरू कोटलेवाला समझौते भी कहते हैं। जिसके तहत श्रीलंका में स्थायी रूप से रहने के इच्छूक तमिल नागरिकों को वहां की नागरिकता प्रदान की गयी और जो भारत आने के इच्छुक थे उन्हें भारत भेज दिया गया तथा जो बचे रह गये वह 'राज्यहीन' नागरिक के रूप में जाने गये।
2. राजीव जयवर्द्धने समझौता (1987) इस समझौते का उद्देश्य जातीय संघर्ष को समाप्त करना था। शांति तथा राष्ट्रीय सहमति कायम करना तथा द्विपीक्षीय सम्बन्धों के क्षेत्र में नवीन युग की शुरूआत करनी थी।

पाकिस्तान में बलूच जातीय संघर्षः बलूचिस्तान

बलूचिस्तान पाकिस्तान का पश्चिमी प्रांत है यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्र है और यह ईरान तथा अफगानिस्तान से सटे हुए क्षेत्र हैं। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है। यहां के लोगों की प्रमुख भाषा बलूच या बलूची है इस क्षेत्र को 1947 में ब्रिटिश इशारे पर इसे पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया था। लेकिन

1970 केदशक में एक बलूच राष्ट्रवाद का उदय हुआ जिसमें बलूचिस्तान को पाकिस्तान से स्वतंत्र करने की मांग उठी।

इसके पूर्वी किनारे पर सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मूल लोग बलूच ही थे। पर इसके प्रमाण कम पाये गये सिंधु घाटी की लिपि को न पढ़े जाने के कारण संशय अब तक बना हुआ है। और सिंधु सभ्यता के अवशेष आज के बलूचिस्तान में कम ही पाये गये हैं बलूच लोगों का मानना है कि उनका मूल निवास सीरिया है। आज का दक्षिणी बलूचिस्तान ईरान के कामरान प्रांत का हिस्सा था और उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान का हिस्सा था।

बलोच या बलूच पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रानत में बसने वाली एक जाति है। यह जाति बलूच भाषा बोलती है। बलोच लोग कबीलों या समूहों में संगठित है। और यह पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहते हैं और आसपास के समुदायों से बिल्कुल भिन्न पहचान बनाये हुए हैं।

इसके अलावा बलोच पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रान्त के दक्षिणी भाग में बसे हुए हैं। और पाकिस्तान के बाहर हम देखते हैं तो अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ओमान, बहरीन कुवैत आदि देशों के कुछ भागों में बलोच जाति बसे हुए हैं।

मुख्य कबीले

1. **बुगटी**—यह बलोच भाषी है और इन्हें बलूचिस्तान का सबसे बड़ा और शक्तिशाली कबीला माना जाता है। इनकी अनुमानित संख्या 3 लाख है।
2. **मेंगल**— यह दूसरा सबसे बड़ा कबीला है।
3. **मर्री**—यह कबीला अलगाववादी विचारधारा से खुंखार तरीके से लड़ने के लिए पहचाने गये हैं। इनकी अनुमानित संख्या 2 लाख लगभग है।
4. **बिजेजो**—यह बलूचिस्तान के अवारान जिले में रहते हैं। इस कबीले से एक गौस बख्श बिजेलो नाम बलोच राष्ट्रवादी नेता प्रसिद्ध हुए थे। जो 1972—1973 में बलूचिस्तान के राज्यपाल भी रहे।

रीति रिवाज—

बलूच पुरूष सलवार कमीज पहनते हैं और बलूच टोपी की विशेष पहचान होती है और महिलायें लहेंगे पहनती हैं जिस पर शीशे के टुकड़े लगे होते हैं। महिलायें अपने सिर को एक कपड़े से ढके रखती हैं और कानों और गले में गोल्ड की हैवी ज्वेलरी पहने रहती है।

गाना—बजाना बलूच की संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जिसमें ढोल का प्रयोग बहुत होता है।इनकी एक बड़ी पहचान ये है कि बलूच लोगों में धार्मिक कट्टरवाद बहुत कम होता है लेकिन राष्ट्रीयता की भावना काफी प्रबल होती है।

बलूचिस्तान में संघर्ष के कारण

बलूच और पाकिस्तान सेना के बीच संघर्ष में गत 30 वर्षो में लगभग पांच हजार विद्रोही और सेना के 3000 जवान अपनी जान गवां चुके हैं बलूचिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोहियों के हमले केवल जनजातीय क्षेत्रों में ही नही रहे सेना और पाकिस्तान में रह रहे अन्य देशों के नागरिकों पर भी हो रहे हैं।

बलूचिस्तान में अशांति के पीछे पहला और सबसे प्रमुख कारण है पाकिस्तान सरकार द्वारा बलूचिस्तान प्रांत का प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। बदले में राजस्व का उचित हिस्सा बलूचिस्तान को न देना बलूचिस्तान में पाकिस्तान के कुल खनिज संसाधनों का 20प्रतिशत हिस्सा है। पाकिस्तान के कुल गैस उत्पादन में 36प्रतिशत हिस्सेदारी बलूचिस्तान की है। इसके पास कोयला, सोना, तांबा, चांदी, प्लेटिनम अल्यूमिनियम और सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम का सबसे ज्यादा भण्डार है। ईरान और तुर्कमेनिस्तान और भारत के बीच प्राकृतिक गैस पाइप लाइन का यह सबसे सहज रास्ता भी है।

सवाल यह उठता है कि जो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है लेकिन यहां सबसे कम शिक्षा और सबसे ज्यादा करीबी है। राज्य खनिज और संसाधनों के मामले में इतना समृद्ध है। फिर भी इतना गरीब क्यों है।इसके अलावा इस प्रदेश में बाल मृत्युदर सबसे ज्यादा है। प्रांत के ज्यादातर जिलों में पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं होती। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में संभ्रांत वर्ग ज्यादा बड़ी जमीनों के मालिक है। लग्जरी कारे हैं और व्यापार में उन्होंने अरबो रूपये का निवेश कर रखा है। ये सभी समस्याएं मिलकर बलूचिस्तान में अशांति का कारण बनी हुई हैं।

पाकिस्तान सरकार बलूच के जनजातीय प्रमुख को पिछड़ेपन के लिए दोषी ठहराते हैं, लेकिन बलूच नेताओं का कहना है कि पाकिस्तान सरकार उनके संसाधनों का दोहन कर उन्हें पिछड़ा ही रखना चाहती है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा विकसित तो है लेकिन लाहौर कराची और इस्लामाबाद के मुकाबले बहुत कम। इसलिए नई कंपनियां या बैंक निवेश के लिए यहा आना पसंद नही करते हैं। अशांति का दूसरा बड़ा कारण यह भी की क्वेटा में भारी सैन्य उपस्थिति, सांप्रदायिक हिंसा और उग्रवाद। यदि राजधानी ही अशांत हो तो बाकी शहरों की स्थिति का भी अंदाज लगाना मुश्किल नही है।

पाकिस्तान में जातीय सवाल सबसे बड़ा सवाल है पाकिस्तान के चार राज्य अलग—अलग जातीय समूह की पहचान को प्रदर्शित करते हैं। जो न तो समायोजित हो सकती है और न ही केन्द्र सरकार इस दूरी को समाप्त कर सकती है। सेना के अभिजात्य वर्ग ने इस जातीय समूह को कभी मान्यता नही दी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जिया उल हक ने एक बार टिप्पणी की थी कि वह पूरे पाकिस्तान को विभाजित कर 53 छोटे—छोटे प्रांतो में बांटना पसंद करेंगे। और जातीय सीमाओं को पूरी तरह मिटाने का यही एक रास्ता है।

हमें यह वही भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की केन्द सरकार ने पूर्वी बंगाल में उई को अनिवार्य करके जातीय पहचान मिटाने का प्रयास किया तो नतीजा 1971 में पाकिस्तान के बंटवारे के रूप मे सामने आया।

बांग्लादेश का जातीय समूह

प्रत्येक देश में अनेक समूह होते हैं जैसे– धार्मिक, जातीय, नस्लीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषायी आदि जो आन्तरिक राजनीति में अपनी भूमिका निभाते हैं और कुछ मामलों में वह भूमिका अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के माकलो से सम्बद्ध हो जाती है। यह समूह किसी राज्य की स्थित को दृढ़ या क्षीण बनाने में अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न समूह विभिनन लक्ष्यों को अभिव्यक्त करते हैं अनेकता में एकता लाने का अभिप्राय यह है कि कुल जनसंख्या में अतर्निहित शक्ति को बनाना। अतः नीति निर्माता को अपनी तथा अपने शत्रुओं की जनसंख्या का यह देखने के लिए परीक्षण करना चाहिए कि कौन से समूह विद्यमान हैं और वे किस प्रकार राष्ट्रीय एकता को प्रभावित कर सकते हैं। जो राष्ट्रीय सत्ता का एक महत्वपूर्ण घटक है। समूहों को सत्ता के तराजू में तौलने के अतिरिक्त उसे विदेश नीति पर उनके प्रभाव का भी मूल्यांकन करना चाहिए। यदि उसकी अंतिम नीति का लक्ष्य जनसंख्या के महत्वपूर्ण भागों के समर्थन को प्राप्त करना है। तो नीति निर्माता को विरोधी समूह हितो तथा उनकी मांगो का समाधान करना चाहिए। जब ऐसे समूहों के तनाव किसी–किसी राष्ट्र के भीतर इस बिन्दू तक बढ़ जाए कि वे किसी अभिजात वर्ग के शासन पर चले आ रहे नियन्त्रण को चुनौती देने लगे तो देश का आन्तरिक भाग तथा विदेश नीति भी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकती है।

इस स्थिति में शासक वर्ग आन्तरिक तनाव को किसी अन्य राष्ट्र के विरूद्ध अग्रसर करके अर्थात् किसी बाहरी संकट को बलि का बकरा बनाकर, उसे कम करने का प्रयास कर सकता है। इस प्रकार एक अन्यथा समझौतावादी राजनीति मुख्यतः जनसंख्या की भीतर के समूहों के तनाव के कारण बाहरी रूप में शत्रुतापूर्ण बन जाती है।

ऐसे समूह जो एक दूसरे के विरूद्ध लड़ने तथा ऐसा करके अपने देश की राजनीति में विनाशकारी भूमिका निभाने के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे श्रीलंका में सिहग्ली तथा तमिल के बीच शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियां, पाकिस्तान में बलूच जातीय समूह, भूटान में मेघसी जातीय समूह, भारत के मूसलमानों के एक वर्ग ने जिन्नाह के हि राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया जिसके परिणामस्वरूप 1947 में भारत के विभाजन से पाकिस्तान नामक एक राज्य जन्म हुआ। उसके 24 वर्ष बाद बंगाली मुसलमानों के एक वर्ग ने इस्लामाबाद में पंजाबी प्रभुत्व वाले शासन के विरूद्ध कदम उठाया जिसके फलस्वरूप 1971 में बांग्लादेश नामक एक नए राज्य का जन्म हुआ। इस प्रकार की अनेक समस्या अफ्रीकी तथा यूरोप के राज्यों में भी देखने को मिलती है।

बांग्लादेश में सभ्यता का इतिहास काफी पुराना रहा है। आज के भारत का अधिकांश पूर्वी क्षेत्र कभी बंगाल के नाम से जाना जाताा था। बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार इस क्षेत्र में आधुनिक सभ्यता की शुरूआत 700 इसवीं इसा पू0 में आरंभ हुआ माना जाता है। यहां कि प्रारंभिक सभ्यता पर बौद्ध और हिन्दू धर्म का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। उत्तरी बांग्लादेश में स्थापत्य के ऐसे हजारों अवशेष अभी भी मौजूद हैं जिन्हें मंदिर या मठ कहा जा सकता है।

बंगाल का इस्लामीकरण मुगल साम्राज्य के व्यापारियों द्वारा 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ ओर 16वीं शताब्दी तक बंगाल एशिया के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र के रूप में उभरा यूरोप के व्यापारियों का आगमन इस क्षेत्र में 15वीं शताब्दी में हुआ और अंततः 16वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उनका प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। 18वीं शताब्दी आते–आते इस क्षेत्र का नियंत्रण पूरी तरह उनके हाथो में आ गया जो धीरे–धीरे पूरे भारत में फैल गया। जब स्वाधीनता आंदोलन के फलस्वरूप 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तब राजनैतिक कारणों से भारत को हिन्दू बहुल भारत और मूस्लिम बहुल पाकिस्तान में विभाजित करना पड़ा।

भारत का विभाजन होने के बाद बंगाल भी दो हिस्सो में बंट गया। इसका हिन्दू बहुल इलाका भारत के साथ रहा और पश्चिम बंगाल के नाम से जाना गया तथा मुस्लिम बहुल इलाका पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। इस क्षेत्र में जमींदारी प्रथा के खिलाफ 1950 में बड़ा आंदोलन शुरू हुआ और 1952 के बांग्ला भाषा आंदोलन के साथ जुड़कर यह बांग्लादेशी गणतंत्र की दिशा में एक बड़ा आंदोलन बन गया। इस आंदोलन के फलस्वरूप बांग्ला भाषियों को उनका भाषायी अधिकार मिला।

और 1955 में पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया। पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा और दमन की शुरूआत यही से हो गई और तनाव धीरे–धीरे बढ़ता गया। पाकिस्तानी शासक याहिया खां द्वारा आवामी लीग और उनके नेताओं को प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके नंगबंधु शेख मुनीबूर रहमान की अगुवाई में बाग्लादेश का स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ। बांग्लादेश में खुन की नदियां बहीं लाखों बंगाली मारे गये तथा 1971 के खुनी संघर्ष में दस लाख से ज्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी को पड़ोसी देश भारत में शरण लेनी पड़ी भारत इस समस्या से काफी परेशान था और भारत को बांग्लादेशियों के अनुरोध पर इस समस्या में हस्तक्षेप करना पड़ा जिसके फलस्वरूप 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ।

बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी सेना का गठन हुआ जिसके ज्यादातर सदस्य बांग्लादेश का बौद्धिक वर्ग और छात्र समुदाय था इन्होंने भारतीय सेना की मदद गुप्तचर सूचनायें देकर तथा गुरिल्ला युद्ध पद्धति से की पाकिस्तानी सेना ने अंततः 16 दिसम्बर 1971 को भारतीय सेना के समक्ष आत्म समर्पण कर दिया बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बना और मुजीबुर रहमान इसके प्रथम प्रधानमंत्री बने।

बांग्लादेश देश की उत्तर, पूर्व और पश्चिमी सीमाएं भारत और दक्षिण पूर्व सीमा म्यांमार देशों से मिलती है। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है बांग्लादेश और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल एक बांग्लाभाषी अंचल है बांग्लादेश काफी हद तक जातीय रूप से सजातीय है और इसका नाम बंगाली जातीय–भाषायी समूह से निकला है जिसमें 98% आबादी शामिल है। चटगांव हिल, सिलेत, मयमे सिंह और उत्तरी बंगाल डिवीजन विभिन्न स्वदेशी लोगों का घर माना जाता है। पूरे क्षेत्र में बोली जाने वाली बंगाली भाषा की कई बोली भाषाएं हैं जिनकी जनसंख्या का अनुमान 163 मिलियन (2016) है लगभग 86% बांग्लादेश में मुसलमान है, इसके बाद हिन्दुओं (12%), बौद्ध (1%) और ईसाई (0.5%) और अन्य (0.5%) है।

बांग्लादेशियों का विशाल बहुमत (लगभग 98.5%) बंगाली जातीय भाषाई समूह का है यह समूह पड़ोसी भारतीय प्रांत पश्चिम बंगाल तक फैला है। अल्पसंख्यक जातीय समूहों में मीतेई, मार्मा, तंचांग्या, बरूआ, खासी, संथाल, चम्मा, गारो, विहारिस, ओरान्स, मुंडा और रोहिंग्या शामिल है फारसी और ईरानिक लोगों के समुदाय मुख्य रूप से चटगांव शहर में रहते है जो कि बांग्लादेश पर पाकिस्तानी प्रभुत्व के दौरान प्रवासित प्रवासियों के वंशज हैं।

रोहिंग्या समुदाय आज रास्ते के अंत में खड़ा है जहां से कोई भी सड़क आगे नहीं जाती है कोई भी देश न तो इन्हें अपनाने हेतु तैयार है न ही इन्हें शरण देरक पर्याप्त सुविधाएं देने हेतु तत्पर। म्यांमार में उत्पीड़न की स्थिति में रोहिंग्या समुदाय के प्रवास हेतु बांग्लादेश सांस्कृतिक एवं भौगोलिक कारणों से एकमात्र विकल्प बचता है। इसी कारण वर्तमान संकट के समय रोहिंग्या समुदाय बड़ी मात्रा में बांग्लादेश की आरे रूख रक रहे हैं। यद्यपि बांग्लादेश इस समुदाय के लोगों को शरण दे रहा है परंतु उसके समक्ष भी संसाधनों की सीमितता का प्रश्न है बांग्लादेश की खुद की आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं है कि वह 6 लाख से अधिक लोगों को शरण दे सके। इसके अतिरिक्त धार्मिक एवं सांस्कृतिक समरूपता के कारण रोहिंग्या समुदाय के लोग को बांग्लादेश की आबादी में क्लीन हो जाने का जोखिम भी है। इतनी बड़ी मात्रा में प्रवास से स्थानीय स्तर प र इंद्र तथा संघर्ष का खतरा भी बढ़ता दिख रहा है। यदि ऐसा होगा तो बांग्लादेश में सामाजिक, आर्थिक वैमनस्य बढ़ेगा जो देश हित में नही होगा।

क्योंकि वैसे भी बांग्लादेश में सामाजिक भेद–भाव (उदारवाद बनाम चरमपंथी) काफी अधिक है इन परिस्थितियों में बांग्लादेशी सरकार शरणार्थियों को वापस भेजने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय दबाव तथा वर्तमान शरणार्थियों के भरण–पोषण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आवह्न कर रही है।

REFERENCES:

बनर्जी, सुब्रत (1981), बांग्लादेश, नई दिल्ली।

डि सिल्वा, के. एम. (1977), लंका– ए सर्वे, लंदन।

K K Ghai, "the main objectives of SAARC", retrieved from http://www.yourarticlelibrary.com/ on18Sep 2016 at 12:38pm

Carnegie, "Papers on Pakistan, the resurgence of Baluch nationalism", retrieved from www.CarnegieEndowment.org on 9 Sep 2016 at 12:36 pm.

"Rural poverty in Pakistan", retrieved from http://www.ruralpovertyportal.org/ on 3 Sep 2016 at 10:50am.

Bhan Ramesh, "swatantra Baluchistan ke hoone ka matlab", yathavat, Hindustan samachar samooh, September 2016.

Sengupta Jayshree, "SAARC and its future", retrieved from http://www.jayshreesengupta.org/ on 18 Sep 2016 at 12:34pm.

LBP PUBLICATION